छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी मर्यादित

(छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल की उत्तरवर्ती कंपनी)

कार्यालय मुख्य अभियंता (सी.एण्ड सी.पी.)

छ.ग.रा.वि.उत्पा.कं.मर्या. शेड नं. 6,विद्युत सेवा भवन परिसर, डंगनिया, रायपुर फोन नम्बर 0771–2574097, फैक्स नम्बर 0771–2574806

आम सूचना

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग के छ.रा.वि.नि.आ. (बहुवर्षीय टैरिफ के सिद्वांतों के अनुरूप टैरिफ निर्धारण की निबंधन एवं शर्ते तथा दरों और प्रभारों से अनुमानित राजस्व के निर्धारण हेतु पद्धति और प्रक्रिया) विनियम, 2012 के प्रावधानों के तहत् छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कंपनी द्वारा, पारंपरिक ताप विद्युत तथा जल विद्युत संयंत्रों हेतु वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिये वास्तिविकीकरण (ट्रू अप) हेतु, आयोग के समक्ष याचिका {क्रमांक. 66/2016 (T)} प्रस्तुत की गई है। याचिका में वास्तिविकीकरण पश्चात ₹ 389.87 करोड़ के अंतर की पूर्ति हेतु प्रार्थना की गई है।

उपरोक्त याचिका की प्रतियां छ.रा.वि.नि.आ., सिंचाई कॉलोनी, शांतिनगर रायपुर के कार्यालय में तथा मुख्य अभियंता (सी. एण्ड सी.पी), छ.रा.वि.उत्पा.कं.मर्या., डंगनिया, रायपुर के कार्यालय में उपलब्ध हैं। याचिका की मुद्रित प्रति कार्यालयीन दिवसों में ₹ 250/– का भुगतान कर प्राप्त की जा सकती है। डाक द्वारा याचिका की प्रति ₹ 50/– (प्रत्येक प्रति) के अतिरिक्त भुगतान पर डाक द्वारा भी प्राप्त की जा सकती है। याचिका की प्रति कंपनी की वेबसाईट www.cspc.co.in एवं आयोग की वेबसाइट www.cserc.gov.in पर भी उपलब्ध रहेगी ।

उपरोक्त याचिका पर सुझाव /आपत्ति, इस आमसूचना के जारी होने के 21 दिवस के भीतर सचिव, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, के कार्यालय में प्रस्तुत की जा सकती है। सुझाव/आपत्तियों/दृष्टिकोण की अग्रिम प्रति छ.रा.विद्युत उत्पादन कंपनी को फैक्स द्वारा नंबर 0771–2574806 पर एवं आयोग को नंबर 0771–4073553 पर भी भेजी जा सकती है। छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत नियामक आयोग, आपत्ति/सुझाव दर्ज कराने वाले पक्षकारों को अपना पक्ष रखने हेतु सुनवाई में सम्मिलित होने का अवसर दे सकता है। सुनवाई हेतु स्थल एवं दिनांक की सूचना आयोग द्वारा पृथक से समाचार पत्रों में प्रकाशित की जा सकती है।

"स्वहित एवं राष्ट्रहित में ऊर्जा बचायें।"

मुख्य अभियंता (सी.एण्ड सी.पी.)

Work Order No .... dtd. 22.12.16 Size 8x2